


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : 24/25

दिनांक 25 09 25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री दशरथ पुत्र, पुत्री, प्रमिता दीतरलाल ने प्राथमिक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोलखेड़ा पटवारी गण्डल तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 197 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जमति दशरथ पुत्र दीतर अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से दशरथ पुत्र दीतरलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी दीलोद से करवाने पर पटवारी ने दशरथ पुत्र दीतर के बजाय दशरथ पुत्र दीतरलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में दशरथ पुत्र दीतर के बजाय दशरथ पुत्र दीतरलाल करना उचित बताया। अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम बोलखेड़ा के खाता संख्या 197 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जमति दशरथ पुत्र दीतर के स्थान पर सम्मानजनक रूप से दशरथ पुत्र दीतरलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)